रजिस्टर्ड नं० पी०/एस०एम०-14

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 18 सितम्बर, 1984/27 भाद्रपद, 1906

हिमाचल प्रदेश सरकार

FOOD AND SUPPLIES DEPARTMENT

ORDER

Shimla-171 002, *the* 19*th March*, 1984

No. FDS. A (3)4/84.—The Statutory order No. S. O. 901 (E), dated 6th December, 1983 published in the Gazette of India extraordinary Part-II Section 3, sub-section (ii) is hereby re-published in the Himachal Pradesh Rajpatra for information of the general public.

ATTAR SINGH,
Secretary.

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF COMMERCE

DEPARTMENT OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 2nd December, 1983

S. O ..... Whereas the Central Government is of opinion that it is necessary and expedient so to do for maintaining supplies of tea, and essential commodity, and for securing its equitable distribution;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) This Order may be called the Tea (Registration of Dealers and Declaration of Stocks) Order, 1983.

(2) It shall come into force at once.

2. *Definitions.*—In this Order, unless the context otherwise requires:—

(*a*) "Commission agent" means a commission agent having in the customary course of business as such agent authority either to sell tea, or to consign tea for the purpose of sale or to buy tea;

(*b*) "dealer" means a dealer in tea, and includes a broker, commission agent, manufacturer and a warehouse keeper;

(*c*) "State order" means any order issued by any State Government or Union Territory Administration under the provisions of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) in relation to tea and in force for the time being;

(*d*) "tea" means the plant camellia Sinensis (L) O. Kuntze as well as all varieties of the product known commercially as tea made from the leaves of the said plant, including green tea;

(*e*) "warehouse keeper" means a person who owns or maintains a warehouse wherein tea is stored for the purposes of sale either by auction of otherwise;

(*f*) words and expressions used but not defined herein shall have the meanings respectively assigned to them in the Tea Act, 1953 (29 of 1953).

3. *Registration of dealers.*—Notwithstanding anything contained in any State Order, after the expiration of a period of 30 days from the coming into force of this Order, no person shall, if the stocks of tea in his possession exceed 1,000 kilograms, carry on business as a dealer unless he is registered as such in accordance with the provisions of a State Order.

4. *Returns.*—Every dealer shall furnish fortnightly return to such authority as may be specified by the State Government in this behalf by notification in the Official Gazette in respect of such stocks of tea held by him as are in excess of 1,000 kilograms.

5. *State Orders to apply.*—The provisions of the State Orders shall apply in respect of any matter for which no provision has been specifically made in this Order.

J. K. BAGCHI,
Joint Secretary to the Government of India.

अधिसूचना

शिमला-171002, 7 अगस्त, 1984

संख्या एफ0 डी0 एस0 ए0 (3)-6/80.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम 10) की धारा 3 के अन्तर्गत तथा जो0 एस0 आर0 800, दिनांक 8 जून, 1978 का पढ़ते हुए जो कि भारत सरकार कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) द्वारा दी गई प्रदत्त शक्तियों तथा इस सम्बन्ध में अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश कामोडिटीज प्राईस मार्किंग एण्ड डिस्प्ले आर्डर, 1977 जो कि हिमाचल प्रदेश असाधारण राजपत्र के अंक दिनांक 9 अगस्त, 1977 को इस विभाग की समसंख्या अधिसूचना, दिनांक 5-8-1977 द्वारा प्रकाशित हुआ था, में निम्नलिखित संशोधन करने का सहर्ष आदेश देते हैं :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस आदेश का नाम हिमाचल प्रदेश कामोडिटीज प्राईस मार्किंग एण्ड डिस्प्ले आर्डर (पांचवां संशोधन) आदेश, 1984 होगा ।

(2) यह आदेश तुरन्त लागू माना जाएगा ।

Amendment in paragraph 2.—(*i*) In paragraph 2 of the Himachal Pradesh Price Marking and Display Order, 1977, in clause (*f*), after the words "includes the" but before the word of "Deputy" the words and sign "Joint Director, Food and Supplies, Himachal Pradesh" shall be inserted;

(*ii*) in clause (*g*), after the words "the" but before the words "Sub-Divisional Magistrate" the words and sign "Additional District Magistrate", shall be inserted.

आदेशानुसार,
अत्तर सिंह,
सचिव ।

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 30 अगस्त, 1983

संख्या पी0 सी0 एस0-एच0 ए0 (5)-55/83.—क्योंकि श्री ताछेब नरगू, प्रधान ग्राम पंचायत मुरंग, विकास खण्ड पूह, जिला किन्नौर के विरुद्ध रु0 23,500/- रुपये अपने निजी प्रयोग में लाने का आरोप है । जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

1. रु0 5,000/- रुपये (पांच हजार रुपये) चिकित्सा अधिकारी से 4/82 में प्राप्त राशि ।

2. रु0 8,000/- (आठ हजार) रुपये अनुदान विछाई मुरंग पृथक किस्त उप-सम्भागीय अधिकारी (ना0), पूह से दिनांक 23-2-83 को प्राप्त ।

3. रु0 7,000/- (सात हजार) रुपये धोकलंग कूहल प्रथम किस्त दिनांक 5-3-83 को उप-सम्भागीय अधिकारी (ना0), पूह से प्राप्त ।

4. मु0 500/- (पांच सौ) रुपये थोकलंग कूहल।

5. मु0 3,000/- (तीन हजार) रुपये मुरम्मत पंचायत घर जो उप-सम्भागीय अधिकारी (ब.0) पूह से दिनांक 31-3-83 को प्राप्त किया है।

क्योंकि इन आरोपों की वास्तविकता जानने के लिए जांच करवानी आवश्यक है।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री ताछेंव नरगू के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की वास्तविकता जानने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) के अन्तर्गत जांच करवाने हेतु अतिरिक्त जिलाधीश, पूह को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं जो अपनी रिपोर्ट जिलाधीश किन्नौर के माध्यम से इस कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

शिमला-2, 1 सितम्बर, 1984

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5)-12/84.—क्योंकि प्रधान ग्राम पंचायत चायल, विकास खण्ड निरमण्ड के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप हैं :—

1. कि उन्होंने प्राथमिक पाठशाला ठारना के लिए दिये गये धन का दुरुपयोग।

2. चक्का तबाई ठारना के लिये गये धन का मु0 4669-50 के झूठे मस्ट्रोल बनाना।

3. प्राथमिक पाठशाला ठारना, प्राथमिक पाठशाला पर हुए व्यय के मस्ट्रोलों का पूरा न होना।

और क्योंकि उक्त प्रधान के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की वास्तविकता जानने के लिए जांच करवानी आवश्यक है।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री भगत राम, प्रधान के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की वास्तविकता जानने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) के अन्तर्गत जांच करने हेतु एस0 डी0 ओ0 सिविल आनी को जांच अधिकारी नियुक्त करने के सहर्ष आदेश देते हैं जो अपनी रिपोर्ट जिलाधीश कुल्लू के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को भेजेंगे।

हस्ताक्षरित,
अवर सचिव।

अधिसूचना

शिमला-2, 4 सितम्बर, 1984

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (4)-38/76-6.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (4) 38/76-III ख, दिनांक 21 मई, 1984 के अन्तर्गत जिला मण्डी में विकास खण्ड चच्योट के नान्डी ग्राम सभा क्षेत्र का जो पुनर्गठन हुआ है को रद्द किया जाता है।

आदेश से,
हस्ता/-
सचिव।

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 10 सितम्बर, 1984

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5)-59/79.—क्योंकि उप-निरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति, मारण्डा स्थित पालमपुर द्वारा की गई प्रारम्भिक जांच पर यह पाया गया है कि श्री सूरजभान प्रधान, ग्राम पंचायत भोड़ा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा के विरुद्ध निम्नलिखित व्यक्तियों को जाली राशन कार्ड बनाने का आरोप है:—

क्रम संख्या	नाम कार्ड होल्डरज	ठीक मैम्बर	राशन कार्ड पर दर्ज	कार्ड पर ज्यादा भरे गये सदस्य
1	2	3	4	
1.	श्री जय सिंह सुपुत्र श्री रोल राम, टीका भोड़ा, तहसील पालमपुर	16	5	4
2.	श्री जनक सिंह सुपुत्र श्री बेभा राम टीका गदियाड़ा, डाकघर भोड़ा, तहसील पालमपुर	56	5	2
3.	श्री जोवन लाल सुपुत्र श्री सुहादा राम, टीका गदियाड़ा, डाकघर भोड़ा, तहसील पालमपुर	170	4	2
4.	श्रीमती प्रभी देवी बेवा सुझादा टीका गदियाड़ा, डाकघर भोड़ा	121	1	1
5.	श्रीमती छेली देवी पत्नी श्री माधो राम, टीका गदियाड़ा, डाकघर भोड़ा, तहसील पालमपुर	169	4	2

और क्योंकि इनकी वास्तविकता जानने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2) के अन्तर्गत नियमित जांच करवानी आवश्यक है ;

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त मामले में वास्तविकता जानने के लिए जांच हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2) के अन्तर्गत जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा को जांच अधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त जांच अधिकारी अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधीश कांगड़ा को शीघ्र प्रस्तुत करेंगे ।

हस्ता/-
अवर सचिव ।

TRANSPORT DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 18th August, 1984

No. 3-66/80-Tpt.—Please read Grand Total amount of Rs. 1,29,717-15 *in place of* Rs. 1,29,867-15, as shown in the list of Private Parties published in the Himachal Pradesh Rajpatra *vide* notification No. 11 7/73-Tpt., dated the 28th September, 1979.

By order,
HARSH GUPTA,
Secretary.

श्रम विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14/17 अगस्त, 1984

संख्या 7-35/83-श्रम.—हिमाचल प्रदेश कारखाना (सुरक्षा अधिकारी) नियम, 1983 के प्रारूप समसंख्यक अधिसूचना तारीख 8 मार्च, 1984 के अधीन हिमाचल प्रदेश राजपत्र में तारीख 7 अप्रैल, 1984 को कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 63) की धारा 115 की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना थी।

और सम्बन्धित व्यक्तियों से कोई आक्षेप और सुझाव निर्धारित अवधि के भीतर हिमाचल प्रदेश सरकार को प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 63) की धारा 112 के साथ पठित धारा 40 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम, को अन्तिम रूप देते हैं और प्रकाशित करने का आदेश देते हैं:—

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश कारखाना (सुरक्षा अधिकारी) नियम, 1983 है।

(2) इन नियमों का विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) ये नियम तत्काल प्रवृत होंगे।

2. अर्हताएं.—(1) कोई भी व्यक्ति उस समय तक सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति का पात्र नहीं होगा जब तक कि उसके पास निम्नलिखित अर्हताएं न हों—

(क) अभियान्त्रिकी या औद्योगिकी की किसी शाखा में मान्यता प्राप्त डिग्री और किसी कारखाने में पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करने का एक वर्ष से अन्यून अवधि का व्यवहारिक अनुभव; या

(ख) भौतिक विज्ञान या रासायनिक विज्ञान में मान्यता प्राप्त स्नातक की डिग्री और किसी कारखाने में पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करने का तीन वर्ष से अन्यून अवधि का व्यवहारिक अनुभव; या

(ग) अभियान्त्रिक या औद्योगिकी की किसी शाखा में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा और किसी कारखाने में पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करने का दो वर्ष की अवधि का व्यवहारिक अनुभव;

(घ) जिस कारखाने में उसे नियुक्त किया जाता है उस कारखाने में कार्य करने वाले अधिकांश श्रमिकों द्वारा बोली जाने वाली भाषा/बोली का पर्याप्त ज्ञान।

(2) खण्ड (क) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसके पास—

(i) अभियान्त्रिकी या औद्योगिकी में मान्यता प्राप्त डिग्री के साथ एक वर्ष का कार्य अनुभव या डिप्लोमा के साथ दो वर्ष का कार्य अनुभव है और केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी विभाग, जो

कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रशासन की कार्रवाई करता हो, में पांच वर्ष से अन्यून अवधि का अनुभव हो; या

(ii) अभियान्त्रिकी या प्रौद्योगिकी, में मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा तथा उद्योग या किसी संस्थान में दुर्घटना की रोकथाम के क्षेत्र में 2 वर्ष से अन्यून अवधि का पूर्णकालिक प्रशिक्षण शैक्षणिक परामर्श या अनुसंधान कार्य सम्बन्धी अनुभव हो, भी सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु यह कि मुख्य निरीक्षक ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी कि वह विनिर्दिष्ट करें, इस उप-नियम की अपेक्षताओं से छूट दे सकेगा यदि उसकी राय में आवश्यक अर्हताओं और अनुभव प्राप्त उपर्युक्त व्यक्ति, नियुक्ति के लिए उपलब्ध न हो :

परन्तु यह और भी कि ऐसे व्यक्ति के मामले में जो इन नियमों के प्रवृत होने की तारीख को, दो वर्षों से अन्यून अवधि तक सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करता रहा हो, मुख्य निरीक्षक, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी कि वह विनिर्दिष्ट करें, उपर सभी या किसी भी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी कि वह विनिर्दिष्ट करें, ऊपर कथित सभी या किसी भी अर्हता को छूट दे सकेगा।

3. सेवा की शर्तें.—(1) जहां राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यथा अपेक्षित, कारखाने में नियुक्त किये जाने वाले सुरक्षा अधिकारियों की संख्या एक से अधिक हो, उनमें से नियुक्त एक मुख्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में पदाविहित किया जायेगा और उसकी प्रास्थिति अन्य से उच्च होगी। मुख्य सुरक्षा अधिकारी नियम 4 में निर्दिष्ट बचाव कार्यों का पूर्ण रूप से प्रभारी होगा और अन्य सुरक्षा अधिकारी उसके नियन्त्रण के अधीन कार्य करेंगे।

(2) जिन कारखानों में केवल एक ही सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाना अपेक्षित हो उनके मामले में मुख्य सुरक्षा अधिकारी या सुरक्षा अधिकारी को वरिष्ठ कार्यवाही की प्रास्थिति दी जाएगी और वह पूर्णतयः कारखाने के मख्य अधिकारी के नियन्त्रणाधीन कार्य करेगा। अन्य सभी सुरक्षा अधिकारियों को उन द्वारा अपने कृत्यों का प्रभावशाली ढंग से निर्वहन करने के लिए उपर्युक्त प्रास्थिति दी जाएगी।

(3) मुख्य सुरक्षा अधिकारी सहित सुरक्षा अधिकारियों को देय वेतनमान और भत्ते और उनकी सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जो कि कारखाने में तत्सम प्रास्थिति के अन्य अधिकारियों को है।

(4) पदच्युति या सेवा मुक्ति की स्थिति में सुरक्षा अधिकारी को राज्य सरकार को जिसका निर्णय अन्तिम होगा, अपील करने का अधिकार होगा।

4. सुरक्षा अधिकारियों के कर्तव्य.—कारखाने के प्रबन्धक मंडल को व्यक्तिगत क्षति की रोकथाम और कार्य के सुरक्षित पर्यावरण को बनाये रखने से सम्बधित इसकी कानूनी या अन्यथा बाध्यताओं को पूरा करने में परामर्श देना और सहायता करना, होगा।

इन कर्तव्यों के अन्तर्गत निम्नलिखित भी होंगे, नामतः—

(क) सम्बन्धित विभागों को वैयक्तिगत क्षति के सम्बन्ध में प्रभावी नियन्त्रण के लिए आवश्यक योजना और उपायों के संचालन के लिए परामर्श देना;

(ख) सभी कार्य अध्ययनों में सुरक्षा के पहलुओं पर परामर्श देना तथा विशिष्ट कार्यों के लिए विस्तृत सुरक्षा अध्ययन का सम्पादन करना;

(ग) व्यक्तिगत क्षति की रोकथाम के लिए की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के परिणामों का मूल्यांकन तथा जांच पड़ताल करना;

(घ) भण्डार क्रय विभाग की उच्च स्तर के क्रय को सुनिश्चित करने एवं व्यक्तिगत सुरक्षा के साधनों की उपलब्धता बारे परामर्श देना;

(ङ) सयन्त्र सुरक्षा निरीक्षकों के कार्यन्वयन से सम्बन्धी मामलों में परामर्श देना;

(च) कार्य की वास्तविक स्थिति और श्रमिकों द्वारा अपनाई गई कार्य प्रणाली और प्रक्रिया का पता लगाने के उद्देश्य से संयन्त्रण का सुरक्षा निरीक्षण करना और असुरक्षित परिस्थितियों को दूर करने के लिए कर्मकारों द्वारा असुरक्षित कार्रवाई की रोकथाम के लिए अपनाये जाने वाले उपायों पर परामर्श देना;

(छ) औद्योगिक दुर्घटनाओं तथा रोगों की सूचना तथा जांच-पड़ताल सम्बन्धी मामलों में परामर्श देना,

(ज) विशिष्ट दुर्घटनाओं की जांच पड़ताल करना ;

(झ) औद्योगिक भयंकर रोगों तथा भयानक दुर्घटनाओं के मामलों जैसा कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 88 (क) और 89 के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहीत किया जाएं की जांच-पड़ताल करन ;

(ञ) ऐसे अभिलेखों को बनाये रखने में परामर्श देना जो दुर्घटनाओं, भयानक घटनाओं तथा औद्योगिक रोगों के सम्बन्ध में आवश्यक हो;

(ट) सुरक्षा समितियों के गठन के लिए प्रोत्साहन देना तथा ऐसी समितियों के सलाहकार और उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना ;

(ठ) सम्बन्धित विभागों के सहयोग से अभियान, प्रति-स्पर्धायें-प्रतियोगिताओं तथा अन्य गतिविधियों को आयोजित करना जिससे कि कर्मकारों में कार्य और प्रक्रिया की सुरक्षित परिस्थितियां स्थापित करने और बनाये रखने की भावना उत्पन्न होगी तथा बनी रहेगी; और

(ड) व्यक्तिगत क्षति की रोकथाम के लिए स्वतन्त्र रूप से या प्रशिक्षण विभाग के सौजन्य से समुचित प्रशिक्षण तथा शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करना तथा उनका संचालत करना।

5. सुरक्षा अधिकारियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं.—कारखाने का मालिक, प्रत्येक सुरक्षा अधिकारी को ऐसी सुविधाएं, उपकरण तथा सूचना उपलब्ध करवायेगा जो कि उस द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रभावकारी रूप से निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

6. अन्य कार्यों के निष्पादन पर प्रतिबन्ध.—कारखाने के मुख्य निरीक्षक की पूर्व अनुमति के अतिरिक्त किसी भी सुरक्षा अधिकारी से किसी भी ऐसे कार्य की अपेक्षा नहीं की जाएगी या करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो कि नियम 4 में विहित कर्तव्यों से असंगत हो अथवा उनके अनुपालन के लिए हानिकारक हो।

आदेश द्वारा,
आर० के० आनन्द,
वित्त आयुक्त एवं सचिव।

[*Authoritative English Text of notification No. 7-35/83-Shram, dated the 14th August, 1984 is hereby published under Article 348(3) of the Constitution of India, for general information*].

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14th/17th August, 1984

No. 7-35/83-Shram.—Whereas draft of Himachal Pradesh Factories (Safety Officers) Rules, 1983 were published as required under section 115 of the Factories Act, 1948 (Central Act No. LXIII of 1948) in the Himachal Rajpatra, dated the 7th April, 1984 *vide* notification of even number, dated the 8th March, 1984 for inviting objections and suggestions from the persons likely to be effected thereby;

And, whereas no objections and suggestions have been received from the persons concerned within the stipulated period, by the Government of Himachal Pradesh.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 40-B, read with section 112 of the Factories Act, 1941 (Central Act No. LXIII of 1948), the Governor, Himachal Pradesh hereby finalises orders the publication of the following rules:—

RULES

1. *Short title, extent and commencement.*—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Factories (Safety Officers) Rules, 1983.

(2) These Rules shall extend to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) These Rules shall come into force at once.

2. *Qualification.*—(1) A person shall not be eligible for appointment as a Safety Officer unless he:—

(*i*) Possesses:

(*a*) a recognised degree in any branch of engineering or technology and has had practical experience of working in a factory in a supervisory capacity for a period of not less than one year; or

(*b*) a recognised bachelor's degree in Physics or Chemistry and has had practical experience of working in a factory in a supervisory capacity for a period of not less than three years; or

(*c*) a recognised diploma in any branch of engineering or technology and has had practical experience of working in a factory in a supervisory capacity for a period of not less than two years;

(*ii*) has adequate knowledge of the language/dialects spoken by majority of the workers in the factory in which is to be appointed.

(2) Notwithstanding the provisions contained in clause (*a*) any person who—

(*i*) possesses a recognised degree with one year's experience or diploma with two years experience in engineering or technology has had experience of not less than 5 years in a

department of the Central or State Government which deals with the administration of the Factories Act, 1948; or

(*ii*) possesed a recognised degree or diploma in engineering or technology and has had experience of not less than 2 years, full time, on training, education consultancy, or research in the field of accident prevention in industry or in any institution;

shall also be eligible for appointment as Safety Officer:

Provided that the Chief Inspector may, subject to such conditions as he may specify, grant exemption from the requirements of this sub-rule, if in his opinion, a suitable person possessing the necessary qualifications and experience is not available for appointment:

Provided further that, in the case of a person who has been working as a Safety Officer, for a period of not less than 2 years on the date of commencement of these rules, the Chief Inspector may, subject to such conditions as he may specify, relax all or any of the above said qualifications.

3. *Conditions of service.*—(1) Where the number of Safety Officers to be appointed in a factory as required by a notification in the Official Gazette exceeds one, one of them shall be designated as the Chief Safety Officer and shall have a status higher than that of the others. The Chief Safety Officer shall be in overall charge of the safety functions as envisaged in rule 4, the other Safety Officer working under his control.

(2) The Chief Safety Officer or the Safety Officer in the case of Factories where, only one Safety Officer is required to be appointed, shall be given the status of a senior executive and he shall work directly under the control of the Chief Executive of the factory. All other Safety Officers shall be given appropriate status to enable them to discharge their functions effectively.

(3) The scale of pay and allowances to be granted to the Safety Officers including the Chief Safety Officer, and the other conditions of their service shall be the same as those of the other officers of the corresponding status in the factory.

(4) In the ease of dismissal or discharge, a Safety Officer shall have a right to appeal to the State Government whose decision thereon shall be final.

4. *Duties of the Safety Officers.*—The duties of a Safety Officer shall be to advise and assist the factory management in the fulfilment of its obligations, statutory or otherwise, concerning prevention of personal injuries and maintaining a safe working environment, these duties shall include the following, namely:—

(*a*) to advise the concerned departments in planning and organising measures necessary for the effective control of personal injuries;

(*b*) to advise on safety aspects in all job studies, and to carry out detailed job, safety studies of selected jobs;

(*c*) to check and evaluate the effectiveness of the action taken or proposed to be taken to prevent personal injuries;

(*d*) to advise the purchaeing and stores departments in ensuring high quality and availability of personal protective equipment;

(*e*) to advise on matters related to carring out plant safety inspections;

(*f*) to carry out plant safety inspections in order to observe the physical conditions of work and the work practices and procedures followed by workers and to render advise on measures to be adopted for removing the unsafe physical conditions and preventing unsafe actions by workers;

(*g*) to render advise on matters related to reporting and investigation of industrial accidents and diseases;

(*h*) to investigata the selected accidents;

(*i*) to investigate the cases of industrial diseases contracted and dangerous occurrences as may be prescribed by the State Government under sections 88-A and 89 of the Factories Act, 1948;

(*j*) to advise on the maintenance of such records as are necessary relating to accidents, dangerous occurrences and industrial diseases;

(*k*) to promote setting up of Safety Committees and act as advisory and catelyst to such committees;

(*l*) to organise in association with the concerned departments, campaigns, competitions, contests and other activities which will develop and maintain the interest of the workers in establishing and maintaining safe conditions of work and procedures: and

(*m*) to design and conduct either independently or in collaboration with the training department, suitable training and educational programme for the prevention of personal injuries.

5. *Facilities to be provided to Safety Officers.*—An occupier of the factory shall provide each Safety Officer with such facilities, equipment and information as are necessary to enable him to discharge his duties effectively.

6. *Prohibition of performance of other duties.*—Except with the prior permission of the Chief Inspector of Factories, no Safety Officer shall be required/permitted to do any work which is inconsistent with or detrimental to the performance of the duties prescribed in rule 4.

By order,
R. K. ANAND,
Financial Commissioner-cum-*Secretary*.

कार्यालय जिलाधीश, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

केलांग, सितम्बर, 1984

सं0 एल0एस0पी0-पंच(ए-1)-20/81.—ग्राम पंचायत ताबो, विकास खण्ड स्पिति, जिला लाहौल-स्पिति के लेखों का निरीक्षण करने से सामने आया है कि मु0 4,100 रुपये दिनांक 21-12-83 को कैश बुक के पृ0 सं0 40 पर ताबो ग्राम में गली निर्माण पर 13 मजदूरों को अदायगी दिखाई गई है, परन्तु मस्टर-रोल के अवलोकन से पाया गया कि इसमें केवल 2 मिस्त्रियों के नाम ही दर्ज हैं और उन्ह मु0 900 रुपये की अदायगी

की गई है । बाकी न तो 11 मजदूरों का मस्टर-रोल में कोई नाम व पता है और न ही मस्टर-रोल की अवधी ही है । इस प्रकार मु0 3,200 रुपये का दुरुपयोग हुआ प्रतीत होता है ।

और क्योंकि उक्त आरोपों की वास्तविकता जानने के लिये हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) के अन्तर्गत जाच करवाई जानी अनिवार्य है ।

अतः मैं, टी0 जी0 नेगी, जिलाधीश, जिला लाहौल-स्पिति, प्रधान ग्राम पंचायत ताबो के विरुद्ध आरोपों में वास्तविकता जानने के लिये हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) के अन्तर्गत जांच के आदेश देता हूं तथा उप-मण्डल अधिकारी (ना) स्पिति को जांच अधिकारी नियुक्त करता हूं । वे अपनी विस्तरित रिपोर्ट इस कार्यालय को एक मास के भीतर-भीतर प्रस्तुत करेंगे ।

केलांग-175132, 4 सितम्बर, 1984

सं0 एल0एस0पी0-पंच-(ए-1)-29/84.—ग्राम पंचायत डंखर, विकास खण्ड, जिला लाहौल-स्पिति का निरीक्षण करने से प्रधान ग्राम पंचायत डंखर के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सामने आये हैं :—

1. मु0 284 रुपये सहकारी उप-भोक्ता भण्डार काजा से 19-7-79 को निकाले गए परन्तु इस राशि का रोकड़ बही में इन्द्राज न करके इसे अपहृत किया गया है ।
2. दिनांक 17-5-81 को रसीद सं0 60 से 90 तक गृह कर के मु0 611 रुपये एकत्रित किये गये परन्तु मु0 524 रुपये रोकड़ बही में दर्ज कर मु0 87 रुपये अपहृत किये गये हैं ।
3. "माने कोगमा" कुहल मुरम्मत पर मु0 300 रुपये मजदूरों को अदायगी की दिखाई गई है, जबकि कार्य के मस्टर-रोल के मुताबिक मु0 250 रुपये की अदायगी हुई है । इस प्रकार मु0 50 रुपये अपहृत किये गये हैं ।
4. दिनांक 30-10-80 को मु0 90 रुपये की किताबें क्रय की गई बताई है, परन्तु न ही क्रय का बिल, भुगतान की रसीद और न ही किताबें पंचायत अभिलेख में विद्यमान हैं । अतः इस राशि का गबन किया गया है । इसी प्रकार मु0 89.40 रुपये 17-12-81 को किताबों की खरीद पर व्यय दिखाये हैं, जबकि केवल किताब "भारतीय दण्ड संहिता", जिसकी कीमत 10 रुपये है, ही पंचायत अभिलेख में विद्यमान है । इस प्रकार यहां भी 79.40 रुपये का दुरुपयोग किया गया है ।

और क्योंकि उक्त आरोपों की वास्तविकता जानने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) के अन्तर्गत जांच करवायी जानी उचित समझी जाती है ।

अतः मैं, थुबदन गोम्फेल नेगी, जिलाधीश, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश, प्रधान, ग्राम पंचायत डंखर के विरुद्ध उपरोक्त आरोपों की वास्तविकता जानने के लिय हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) के अन्तर्गत जांच के आदेश देता हूं तथा उप-मण्डल अधिकारी (ना) स्पिति स्थित काजा को जांच अधिकारी नियुक्त करता हूं । वह अपनी विस्तरित रिपोर्ट इस कार्यालय को एक मास के भीतर-भीतर प्रस्तुत करेंगे ।

थुबदन गोम्फेल नेगी,
जिलाधीश, जिला लाहौल स्पिति ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।